



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-1336/MP/36/2023-ESDW

दिनांक: 13.04.2023


डॉ. इलैयाराजा टी.,  
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,  
जिला इंदौर,  
नवीन प्रशासनिक संकुल, मोती तबेला,  
इंदौर-452007,  
मध्य प्रदेश  
ई-मेल:dmindore@nic.in

**विषय:** ग्राम निहालपुर मुंडी एवं भडक्या कांकड तहसील राऊ जिला इंदौर मे विकसित कॉलोनी वीर एकलव्य रहवासी कल्याण समिति के आदिवासी परिवारों के लिए स्व वित्त पोषित योजना को लागू करवाने के संबंध मे श्री कालू सिंह मकवाना, महामंत्री, भारतीय कृषि ग्रामीण खेत खलिहान मजदूर संघ, इंदौर-धार (म.प्र.) का दिनांक 12/01/2023 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री कालू सिंह मकवाना से दिनांक 12.01.2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि.

  
(एच. आर. मीना)  
(अनुसंधान अधिकारी)

प्रतिलिपि संलग्न:

1. श्री कालू सिंह मकवाना,  
महामंत्री,  
भारतीय कृषि ग्रामीण खेत खलिहान मजदूर संघ,  
इंदौर-धार (म.प्र.)

2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर  
अपलोड करने हेतु।